ए.पेरियाक रुप्पन बनाम तमिलनाडू राज्य
ए.आई.आर.1971 एस.सी. 2303

तथ्य

तमिलनाडू राज्य में आठ मेडिकल कालेज थे जिनमें से तीन मद्रास में हैं और एक-एक कालेज मदुरै, चिगलपेट, कोयम्बटूर, तंजाबूर और तिरुनेलवेली में है। मद्रास कालेज में कुल उपलब्ध सीटें 500 थीं और मदुरै, त्रिगलपेट, कोयम्बटूर, तंजाबुर और तिरूनेलवली में क्रमशः 200,50,100,200,और 75 सीटें उपलब्ध थी। वर्तमान मामले में यूनिटवार चयन किये गये। राज्य में 6 यूनिट बनाए गये। मद्रास नगर के मेडिकल कालेजों को एक यूनिट माना गया और अन्य प्रत्येक मेडिकल कालेजों को एक यूनिट माना गया। इन यूनिटों के लिये चयन विभिन्न चयन समितियों द्वारा किये गए। 1125 सीटों में से कुछ सीटें कुछ विशेष वर्गों के छात्रों के लिये आरक्षित थी। चूकि उनके बारे में कोई विवाद नही था, इसलिये उस आरक्षण के संबंध में कोई आंदोलन नहीं हुआ। किन्तु शेष सीटों में से 41% सीटें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिये आरक्षित कर दी गई और बाकी सामान्य पूल में रख दी गई।

विवादक

(1) क्या मेडिकल कालेजों में यूनिट-वार चयन अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लघंन था?

(2) क्या केवल जाति के आधार पर पिछड़े वर्गो का निर्धारण वैधानिक रूप से अनुमेय था?

(3) क्या पिछड़े वर्गों,अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये 41% आरक्षण अधिक था?

न्यायमूर्ति हेगड़े के निर्णय से संगत उद्धरण

11. ''हम सर्वप्रथम यूनिट-वार आधार पर मेडिकल सीटों के विभाजन के संबंध में दिये गये तर्क पर विचार करेगें। यह स्वीकार किया गया है कि कुल यूनिटों में चयन किये जाने के लिये अपेक्षित न्यूनतम अंक अन्य यूनिटों में अपेक्षित न्यूनतम अंकों के कम है। अतः संबंधित स्कीम के अनुसार प्रत्यक्षतः कुछ आवेदकों के प्रति भेदभाव किया गया है। राजेन्द्रन के मामले में (1968) 2 एस सी आर 766 (ए.आई.आर.एस सी 1012) सुपरा इस न्यायालय ने यह निर्णय किया कि उपलब्ध सीटों का जिलेवार वितरण संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। किन्तु राज्य की ओर से यह तर्क किया गया था। कि सीटों का यूनिट-वार वितरण प्रावधिक सुविधा के लिये लागू किया

गया था। यह कहा गया कि सभी आवेदकों का इंटरव्यू लेना एक चयन समिति के लिये संभव नहीं था। अतः विभिन्न समितियां गठित करनी पड़ी। पिछली बार जब आवेदकों का इंटरव्यू विभिन्न समितियों द्वारा लिया गया तो इस प्रकार की शिकायतें की गई कि विभिन्न समितियों द्वारा अपनाए गये मानक अलग-अलग हैं और इसलिये आवेदक की योग्यता की परीक्षा समान मानक के आधार पर नहीं की गई। यानि यह कहा गया कि जब विभिन्न समितियों द्वारा चयन किये गये, तो उस समय समेकित सूची तैयार करने में विलंब हो गया था। हम इन कारणों को वर्गीकरण के वास्तविक कारणों के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। यह शिकायत कि राज्य- बार चयन के समय विभिन्न समितियों द्वारा अपनाए गये मानक अलग-अलग थे विभिन्न समितियों द्वारा किये गये यूनिट-वार चयन के समय भी यह शिकायत बनी रहेगी। चाहे विभिन्न समितियों द्वारा राज्य वार आधार पर चयन किया गया हो या यूनिट-वार आधार पर, उन समितियों द्वारा अपनाए गये मानक में, अलग-अलग हो सकते हैं। अतः सिद्धांततः इसमें कोई अंतर नहीं है।

12. अब हम विलंब के प्रश्न पर आते हैं। हमें इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता कि समेकित सूची तैयार करने में कोई विलंब क्यों होना चाहिए। बहरहाल जो भी हो विलंब का कारण ऐसा नहीं है जिसकी वजह से राज्य-वार आधार पर और योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धांत से विचलन को न्यायोचित कहा जा सकें। किसी वर्गीकरण को उचित सिद्ध किये जाने से पहले यह आवश्यक है कि वह वास्तविक मानदण्ड पर आधारित हो और प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य से उसका उचित संबंध हो। इस संबंध में प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य है मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिये सर्वोत्तम प्रवेशार्थियों का चयन करना। जो तरीका अपनाया गया है उससे वह उद्देश्य संतोषजनक रूप से पूरा नही हो सकता। याचिकादाताओं की शिकायत है कि 1967- 68 में लागू किये गये यूनिट-वार वितरण में कुछ बल है, हालांकि रिकार्ड किये गये आंकड़ों के आधार पर हमारा यह कहना कि यूनिट-वार वितरण आनुषंगिक प्रयोजनों के लिये किया गया था उचित नहीं होगा। यही कहना पर्याप्त होगा कि सीटों का यूनिट-वार वितरण संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। इस तथ्य से कि आवेदक किसी भी एक यूनिट में आवेदन कर सकता है स्कीम अनुच्छेद 14 और 15 की रिष्टि से बाहर नहीं हो जाती। यह स्मरण रहे कि छात्रों को यह सूचित किया गया था कि वे यथासंभव अपने निवास-स्थान से निकटतम यूनिट में ही आवेदन करें।

22. इस विवाद का कोई आधार नहीं है कि पिछड़े वर्गों के लिये किया गया आरक्षण अधिक है। हमें यह नहीं बताया गया कि यह अधिक क्यों है। निस्संदेह, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मेडिकल कालेजों में योग्य और सक्षम छात्रों के लिये प्रवेश-द्वार बन्द कर देना राष्ट्र के तात्कालिक हित के विरुद्ध है किन्तु यदि दीर्घकालीन हित होता है तो राष्ट्र का तात्कालिक हित उससे

सुमेलित हो जाता है। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस देश में लोगों के कई वर्ग बिना सहायता के राष्ट्र के प्रगतिशील वर्गों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। ऐतिहासिक कारणों की वजह से प्राप्त किये गये लाभों को मूल अधिकारों के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। दीर्घकालीन हित को ध्यान में रखते हुए यदि पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने में सहायता की जाए और वे लोगों के प्रगतिशील वर्गो के साथ अपना स्थान बना सकें तो इससे राष्ट्र का सर्वाधिक हित होगा। यही कारण है कि बालाजी के मामले में (1963) पूरक 1 एस.सी.आर. 439 (ए.आई.आर.1963 एस.सी. 649) (सुपरा) इस न्यायालय ने निर्णय किया कि पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कुल आरक्षण सामान्यतः उपलब्ध सीटों के 50% के अधिक नहीं होना चाहिए। वर्तमान मामले में यह 41% है। हमारे समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि उक्त आरक्षण अधिक है।

24. चित्रलेखा के मामले में (1964) 6 एस सी आर 368 (ए.आई.आर1964 एस सी 1823) (सुपरा) इस न्यायालय ने यह दोहराया कि किसी वर्ग के पिछड़े होने के बारे में अभिनिश्चिय करने के लिए जाति एक संगत तथ्य है। उस मामले में आगे यह टिप्पणी की गई -

"हालांकि इस न्यायालय ने नागरिकों के किसी वर्ग के पिछड़े होने के बारे में अभिनिश्चय करने के लिए जाति को अपवर्जित नहीं किया है, फिर भी किसी वर्ग के पिछड़ेपन के अभिनिश्चयन के आधार के लिये जाति को अप्रतिरोध्य तथ्य नहीं माना है। दूसरे शब्दों में संबंधित प्राधिकारी व्यक्तियों के वर्ग के पिछड़ा होने के बारे में अभिनिश्चिय करने के लिये जाति को ध्यान में रख सकता है किन्तु यदि वह ऐसा न करें और यदि वह व्यक्तियों के किसी ग्रुप के पिछड़ा होने के बारे में अन्य संगत मानदंड के आधार पर अभिनिश्चिय करता है तो इस कारण से उसकी पद्धति अमान्य नहीं होगी।''

36. जाति को हमेशा एक वर्ग से रूप में माना गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153-फ में प्रयुक्त ''महामहिम की प्रजा के वर्ग'' अभिव्यक्ति की व्यवस्था करते समय न्यायमूर्ति वासुदेव ने नारायण वासुदेव बनाम सम्राट के मामले में ए आई आर 1940 बम्बई 379 में यह टिप्पणी की :-

''मेरे विचार से, संहिता की धारा 155-क में महामहिम की प्रजा के वर्ग'' अभिव्यक्ति का प्रयोग सीमित अर्थ में किया गया है जो कि सामान्य और एक मात्र अभियान से संबंधित और सामान्य और एक मात्र विशिष्टताओं वाले व्यक्तियों के समूह व ग्रुपों का द्योतक है जो उनकी

उत्पत्ति,वंश या वर्ग या धर्म से संबंद्ध हो सकते हैं और उस धारा के अंतर्गत ''वर्ग'' उनकी इतनी अधिक मात्रा में संख्या का प्रतीक है कि उन्हें एक सजातीय समुदाय में रखा जा सकता है।''

27. पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 5 के पैरा 10 में यह टिप्पणी की गई है- ''हमने जाति का परिहार करने की कोशिश की परन्तु हमें यह पता चला कि वर्तमान परिस्थितियों में जाति की उपेक्षा करना कठिन है। हम यह चाहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में जाति को सामाजिक पिछड़ेपन से अलग कर दिया जाए। आजकल कोई भी व्यक्ति कोई भी धंधा कर सकता है। यदि ब्राह्मण सिलाई का काम करे तो वह जाति से दर्जी नहीं हो जाता और न ब्राह्मण के क्रम रूप में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा घटती है। ब्राह्मण बूट और जूते बेचने का काम कर सकता है और फिर भी उसकी वजह से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं घटती। अतः आजकल सामाजिक पिछड़ापन किसी व्यक्ति के विशेष व्यवसाय के कारण नहीं है किन्तु भारत में सामाजिक पिछड़ेपन पर विचार करने के लिये जाति को अलग नहीं कर सकते।''

31. राजेन्द्रन का मामला (1968), 2 एस सी आर 788 (ए.आईआर 1968 एस सी 1012) (सुपरा) इस प्रतिज्ञप्ति का प्रमाण है कि पिछड़े वर्गों का जातियों के आधार पर वर्गीकरण अनुच्छेद 15(4) की सीमा के अंतर्गत है, यदि वे जातियां सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई दिखाई गई हों। यह स्पष्ट करने के लिये हमारे पास कोई और सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण जिससे हमारा यहां संबंध है अनुच्छेद 15 (4) के अनुसार नहीं है। इस तथ्य को दोहराने से कोई लाभ नहीं है कि इस देश में ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है। उनके अस्तित्व की उपेक्षा करना जीवन के तथ्यों की उपेक्षा करना है। अतः हम इस विवाद का समर्थन नहीं कर सकते कि आरक्षण जिसके बारे में विरोध किया गया है, अनुच्छेद 15(4) के अनुसार नहीं है। किन्तु फिर भी सरकार को इस आधार पर अग्रसर नहीं होना चाहिए कि जो वर्ग एक बार पिछड़ा वर्ग मान लिया गया है वह हमेशा पिछड़ा वर्ग हीं बना रहें। इससे आरक्षण का वास्तविक प्रयोजन ही व्यर्थ हो जायेगा। क्योंकि जब कोई वर्ग प्रगति की अवस्था तक पहुंच जाए, जिसे कुछ आधुनिक लेखक उठाने की अवस्था कहते हैं तो उनकी भावी प्रगति के लिये प्रतियोगिता आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि वह सीटों के आरक्षण के प्रश्न की हमेशा समीक्षा करती रहे और आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं वर्गों को दिया जाए जो वास्तव में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। निहित स्वार्थ के लिये सीटें आरक्षित न की जाएं। यह तथ्य कि पिछड़े वर्गों के सदस्यों ने सामान्य मूल में लगभग 50% सीटें प्राप्त की हैं यह प्रकट करता है कि इस प्रश्न की नए सिरे से विस्तृत जांच करने का समय आ गया है। यह स्मरण रहे कि इस संबंध में सरकार का निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिये विचाराधीन है।

निर्णय

1. यूनिट-वार चयन को अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन समझा गया। इस निष्कर्ष के बावजूद पहले से किये गये चयन को रद्द नहीं किया गया क्योंकि चुने गये सदस्यों को याचिका के संबंध में पक्षकार नहीं बनाया गया था। न भरी गई 24 सीटों को न्यायालय के आदेश के अनुसार भरे जाने का आदेश दिया गया।

2. 41% आरक्षण को अधिक नहीं माना गया।

3. पिछड़े वर्गों के जातियों के आधार पर वर्गीकरण को अनुच्छेद 15(4) की सीमा के अंतर्गत समझा गया। न्यायालय का निर्णय राजेन्द्रन के मामले में किये गये अपने पिछले निर्णय पर निर्भर था।